फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

प्रार्थी–सरकार जरिये तहसीलदार अप्रार्थी– सजना व अन्य

केस संख्या : 456/2016

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बाबत नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत</u>

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

:–निर्णय–:

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत न करने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई।

पैरोकार राज0 ने निवेदन किया कि ग्राम माधोराजपुरा में फागी चाकसू रोड से ज्ञानमति माता मंदिर के पास से माधोराजपुरा से मांदी जाने वाले रास्ते में मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुयी है तथा मौके पर चालू है। रास्ता करीब 1.02 बीघा भूमि में खातेदारी भूमि में कायम है। उक्त रास्ते में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नंबर 2335/1807 रकबा 2.02 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.11 बिस्वा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी खसरा नंबर 1807 रकबा 2.03 बीघा में से 0.11 बिस्वा भूमि आती है। जनता की समस्या के निराकरण बाबत उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट, जवाब अप्रार्थी संख्या 1 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2335/1807 रकबा 2.02 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.11 बिस्वा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1807 रकबा 2.03 बीघा में से 0.11 बिस्वा भूमि पर रास्ता बना हुआ है जो आमजन के आवागमन के लिए उपयोग में आ रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर के खसरा नंबर 2335/1807 रकबा 2.02 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.11 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 1807 रकबा 2.03 बीघा में से 0.11 बिस्वा भूमि मुताबिक नजरी नक्शा की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज की जाती है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट माधोराजपुरा में सुनाया गया।

(सांवर कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी